न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 80/10 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :-1. सूर्यदेव पुत्र वालू जाति जाटव निवासी ग्राम नूरनगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:------अपीलांट

वनाम

1 प्रभाती

2 श्रीचन्द पुत्रान मामन जाति जाटव निवासी ग्राम नूरनगर तह0 किशनगढबास

:----- असल रेस्पो0

3 रामेश्वरदयाल पुत्र गंगाधर

4 रोहिताश पुत्र यादराम

5 मल्ली पुत्री मामन

6 खेमचन्द पुत्र मु0 चमेली

7 इन्दर पुत्र मु0 चमेली

8 कमलादेवी पुत्री मु0 चमेली

9 विमला पुत्री मु0 चमेली जाति जाटव निवासी ग्राम नूरनगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

10. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर

:---- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, किशनगढबास दिनांक 30.7.2010

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री संजय यादव

2. वकील असल रेस्पो0 :- श्री सचिन खत्री

निर्णय दिनांक 02.03.2021

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा राजस्व वाद संख्या 336/2008 में पारित निर्णय दिनांक 30.7.2010 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद बाबत इस्तकरारहक व हुकमइम्तनाई दवामी डिक्री किया गया है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 386 रकबा 96 एयर, 447 रकबा 53 एयर तथा 448 रकबा 57 एयर वाके ग्राम नूरनगर तह0 किशगढबास वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता0 8 तथा उनके पूर्वजों की शामलात खातेदारी की आराजी है । विवादित आराजीयात का सावेक खसरा नम्बर 237 रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा था । विवादित आराजी सावेक खसरा नम्बर 237 रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा के 1/4 भाग का खातेदार मृतक बालू पुत्र मन्शा था, जो प्रतिवादी नम्बर 1 का पिता था, जिसने अपना हिस्सा जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 30.6.70 को वादीगण को बेच दिया । विवादित आराजी सावेक खसरा नम्बर 237 रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा के पूर्व में रामदास, पतदू, बालू व मामन पुत्रान मन्शा समभाग के पटटेदार सम्वत 2003 में रहे हैं । उपरोक्त आराजी में वादीगण व उनके पिता का 1/4 भाग सदैव से कब्जे में रहा है और 1/4 भाग वादीगण की खरीदशुदा आराजी है । इस प्रकार वादीगण का विवादित आराजी में 1/2 भाग का हक निहित है । विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 386, 447, 448 किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 03 के निस्फ भाग की कीमत जमा कराकर वादीगण ने सनद पटटा संख्या 950 दिनांक 4.6.96 को जारी कराया हुआ है । किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा आराजी पर नहीं है और ना था । वादीगण आराजी मुतनाजा के 1/2 भाग पर बयनामा दिनांक 30.6.70 से काबिज है । प्रतिवादी नम्बर 01 गैर वास्ता है । बाद बेचान मृतक बालू के कोई हक आराजी में नहीं रहा । विवादित आराजी के 1/4 भाग पर प्रतिवादी नम्बर 03 काबिज है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद डिक्री किया है, जिसकी यह अपील प्रतिवादी नम्बर 01 ने प्रस्तुत की है ।

3. बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि तहत अदालत ने अपने निर्णय में तनकियात कायम करना लिख है । कौन कौन सी तनकियात कायम की, इसका अंकन नहीं है और ना ही तनकीवार निर्णय पारित किया है । विवादित आराजी के 1/4 भाग का खातेदार मेरा पिता बालू था । उनके देहान्त के बाद मैं 1/4 भाग का खातेदार हूं । मेरे पिता ने वादी असल रेस्पो0 को आराजी का बेचान नहीं किया है । ना ही उनको कब्जा हस्तांतरित किया है । असल रेस्पो0 का बयनामा फर्जी है । फर्जी बयनामा के आधार पर असल रेस्पो0 वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अगर असल रेस्पो0 वादी ने बयनामा कराया है तो उक्त बयनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज कराना चाहिये था । असल रेस्पो0 के पक्ष में कोई सनद पटटा नम्बर 950 जारी नहीं हुआ है । अगर सनद पटटा जारी होता तो वाद पत्र दायर करने की क्या जरूरत थी । पटटे के आधार पर इंतकाल दर्ज करवा लेते । तहत अदालत ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सम्पत्ति हस्तांतरण के प्रावधानों के विपरीत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील स्वीकार की...

जावे ।

4. जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित आराजी उसकी खरीदशुदा एवं पट्टे पर मिली हुई आराजी है, लेकिन इनके आधार पर इंतकाल दर्ज होकर राजस्व रेकार्ड में अमल नहीं हो पाया था । इसलिये हमने दावा प्रस्तुत किया, जो विधिसम्मत डिक्री किया गया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । नकल बयनामा एग्जिविट – 01 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बरा 237 रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा में से 1/4 भाग वादीगण असल रेस्पो0 ने अपीलांट के पिता बालू से खरीद किया था और मौके पर कब्जा प्राप्त किया है । नकल सनद पटटा नम्बर 950 दिनांक 4.6.96 एग्जिविट – 02 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 386, 447, 448 की सनद विवादित भूमि की 1/4 भाग की असल रेस्पो0 वादीगण के पक्ष में जारी होना पाया जाता है ।

6. उपरोक्त समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह सिद्ध है कि विवादित आराजी में से 1/4 भाग वादीगण असल रेस्पों0 ने अपीलांट प्रतिवादी नम्बर 01 के पिता बालू से खरीदी थीं तथा 1/4 भाग भूमि वादीगण ने सनद के माध्यम से प्राप्त की थी । परन्तु इनके आधार पर वादीगण असल रेस्पो0 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हो पाया था और प्रतिवादी के नाम का ही अंकन होता रहा है, जिसे दुरूस्ती कराकर वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोंशनी में हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.7.2010 यथावत रखे जाते हैं ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 80/10 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सूर्यदेव पुत्र वालू जाति जाटव निवासी ग्राम नूरनगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान :———— अपीलांट

वनाम

1 प्रभाती
2 श्रीचन्द पुत्रान मामन जाति जाटव निवासी ग्राम नूरनगर तह0 किशनगढबास :——— असल रेस्पो0
3 रामेश्वरदयाल पुत्र गंगाधर
4 रोहिताश पुत्र यादराम
5 मल्ली पुत्री मामन
6 खेमचन्द पुत्र मु0 चमेली
7 इन्दर पुत्र मु0 चमेली
8 कमलादेवी पुत्री मु0 चमेली
9 विमला पुत्री मु0 चमेली जाति जाटव निवासी ग्राम नूरनगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0
10. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर

:——— तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, किशनगढबास दिनांक 30.7.2010

———————————————————

त :– 1. वकील अपीलांट :– श्री संजय यादव
2. वकील असल रेस्पो0 :– श्री सचिन खत्री

पर्चा डिक्री दिनांक ०२.०३.२०२१

————

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.7.2010 यथावत रखे जाते हैं ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर